(MDM)

क्रिया कलापों में भागीदारी ~~दिखाकर~~ दिलाना।

③ प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को जहाँ सूखा तथा बाढ़ जैसे क्षेत्रों के बच्चों को ग्रीष्मकालीन पोषकीय सहायता प्रदान करना।

भारतीय खाद्य निगम की जिम्मेदारी (FCI) (स्थापना 14 Jan 1965)

भारतीय खाद्य निगम को यह जिम्मेदारी यह दी गई है कि अनाज का भण्डारण तथा प्रत्येक विद्यालय को हर एक माह आग्रिम राशन को स्कूल में पहुंचाना। जिससे यह प्रक्रिया बिना रुकावट के चलती रहे।

NP-NSPE National scheme for Primary education 2006) के अनुसार FCI को यह जिम्मेदारी दी गई है कि उच्च गुणवत्ता युक्त अनाजों को ~~जैसे~~ या औसत अच्छे किस्म के शासन को हर स्कूल में समय से पहुंचाया जाय।

कार्यान्वयन प्रारूप -

~~विकेन्द्रीक~~ विकेन्द्रीयकरण प्रारूप →

इस योजना में प्रत्येक राज्य के जिले में संचालित विद्यालय को यह जिम्मेदारी दी गई है कि भोजन बनाने हेतु कार्यकर्ताओं को इस धारा में जोड़कर उसे ~~जॉब~~ एक पेशा या जॉब मुहैया कराना। उसकी जिम्मेदारी यह है कि बच्चों के बीच मातृत्व भावना का विकास भी विकसित करना है।

केन्द्रीयकरण प्रारूप -

पका-पकाया भोजन किसी विशेष गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी पहुंचाने का कार्य किया जाता है। जो ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के स्कूलों को जोड़ने का कार्य करते हैं।

Scanned with CamScanner

इसमें मुख्य रूप से अक्षय पात्रा फाउन्डेशन, एकताशक्ति फाउन्डेसन, नन्दी फाउन्डेसन तथा जय;जै मानवता जैसी संस्थाएं सम्मिलित हैं।

देखरेख:-

1- राष्ट्रीयस्तर (PAB- Programme aproval board) - त्रैमासिक

2- राज्य - परिचालनात्मक, त्रैमासिक-

3- जिला - जिला स्तरीय कमेटी - मासिक

~~4 मासिक -~~

4- महानगर कमेटी - मासिक

5- ब्लाक - मण्डल स्तरीय कमेटी- साप्ताहिकी / 15 दिन मैं

6- गाँव - पंचायती स्तर की सब-कमेटी - दिन-प्रतिदिन

⑦ स्कूल - विद्यालय प्रबंधन कमेटी या शिक्षक अभिभावक संघ मासिक या आवश्यकतानुसार-

राष्ट्र पृथ्वी की जड़ है
परन्तु पृथ्वी की पहचान

* शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ (Meaning of Equality of Education opportunities) →

शैक्षिक अवसरों की समानता का सामान्य अर्थ है देश के सभी बच्चों को बिना किसी भेद भाव के शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर और समान सुविधाएँ प्रदान करना। परन्तु समान अवसर और समान सुविधाओं के सम्बन्ध में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं कुछ विद्वान शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर और समान सुविधाओं से अर्थ देश के सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा अर्थात समान पाठ्यक्रम से लेते हैं। फिर भी सामान्य शिक्षा सबके लिए समान हो सकती है और होती भी है. परन्तु विशिष्ट शिक्षा बच्चों की रुचि, रुझान, योग्यता और क्षमता के आधार पर ही दी जाती है। इसके विपरीत कुछ विद्वान इसका अर्थ शिक्षा संस्थाओं के समान रूप से लेते हैं; वे सरकारी, गैरसरकारी, और पब्लिक स्कूलों के भारी अन्तर को समाप्त करने के पक्ष में हैं। उस स्थिति में सभी को शिक्षा के समान अवसर मिल सकते हैं अन्यथा धनी वर्ग के बच्चे पब्लिक स्कूलों की अच्छी शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे और निर्धन वर्ग के बच्चे सरकारी एवं गैरसरकारी स्कूलों की निम्न स्तर की शिक्षा ही प्राप्त कर सकेंगे।

* शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता (Need of Equality of Educational opportunities) →

संसार के सभी देशों में शिक्षा को मानव का मूल अधिकार माना है। तब किसी भी देश में सभी को शिक्षा प्राप्त करने की समान सुविधाएँ होनी चाहिए।

Scanned with CamScanner

(1) लोकतंत्र की रक्षा के लिए → लोकतंत्र की सफलता उसके नागरिकों पर निर्भर करती है, उसके नागरिकों की योग्यता और क्षमता पर निर्भर करती है और नागरिकों की योग्यता एवं क्षमता निर्भर करती है शिक्षा पर, अतः देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करना आवश्यक है।

(2) व्यक्तियों के वैयक्तिक विकास के लिए → लोकतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर करता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के स्वतंत्र अवसर प्रदान करता है। हमारे देश की स्थिति यह है कि आधे से अधिक जनसंख्या पिछड़ी है, निर्धन तथा अच्छी शिक्षा से वंचित है। यदि देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के अवसर प्रदान करना चाहते हैं तो सभी को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर एवं सुविधाएँ प्रदान करें।

(3) वर्गभेद की समाप्ति के लिए → देश में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च वर्ग का अधिकार बढ़ता गया और निम्न वर्ग के व्यक्ति और पिछड़ते गये और वर्ग भेद बढ़ता गया। सभी वर्गों के बच्चों एवं युवकों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर एवं सुविधाएँ प्राप्त कराना आवश्यक है।

(4) समाज के उन्नयन के लिए → लोकतंत्र सामाजिक वर्ग भेद का विरोधी है, वह पूरे राष्ट्र को एक समाज मानता है और उसे सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज के रूप में विकसित करने में विश्वास करता है। जबतक देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित नहीं किया जाता है तब तक हमारे देश में शैक्षिक अवसरों की समानता की बहुत आवश्यकता है।

Scanned with CamScanner

* बेसिक शिक्षा का अर्थ → 'बेसिक' शब्द का हिन्दी रूपान्तर 'आधारभूत' है। इसी प्रकार बुनियादी से अभिप्राय भी आधारभूत ही है। इस नवीन शिक्षा को भारत की राष्ट्रीय सभ्यता एवं संस्कृति का आधार बनाया गया है और यह प्रयत्न किया गया कि ~~ऐसी~~ शिक्षा ऐसी हो जो बालक की आधारभूत आवश्यकताओं व रुचियों से घनिष्ठ सम्बंध रखे और उसके सर्वांगीण विकास में सहायक हो तथा उसके जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो।

* बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त → इसके निम्न सिद्धान्त हैं:-

(1) निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा → संसार की अन्य उन्नतिशील राष्ट्रों की भाँति भारतीय संविधान ने भी नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया है। अतः राज्यों का कर्तव्य है कि सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की समुचित व्यवस्था करें। यह बेसिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त है।

(2) शिक्षा का आधार हस्तकला → बेसिक शिक्षा के सभी विषय स्थानीय हस्तकला के केन्द्र बनाकर पढ़ाये जाते हैं। पहले हस्तकला के अन्तर्गत केवल कताई-बुनाई तथा कुछ अन्य कलाएँ ही सम्मिलित थी। बाद में इसमें जीवनोपयोगी सभी कार्यों को सम्मिलित कर लिया गया और अब बालक को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय कलाओं की शिक्षा दी जाने लगी।

(3) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा → बालक अपनी मातृभाषा में सरलता से ज्ञानार्जन कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कक्षा 5 तक अंग्रेजी शिक्षा का नामो निशान मिटा दिया गया और बेसिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा निर्धारित किया गया।

Scanned with CamScanner